



सराहनीय कार्य इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 18.09.2026

#RECOVERY OF LIQUOR

अवैध शराब की तस्करी करने वाले 02 अन्तर्राज्यीय शराब तस्करों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया
गिरफ्तार,

कब्जे से 500 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (कुल 6,000 बोतल) व 01 दस चक्का ट्रक किया गया बरामद ।
(कुल अनुमानित कीमत 50,00,000/- रुपये)

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा श्री अभयनाथ त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर सुश्री आयुषी के नेतृत्व में थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना/ गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अवैध शराब/मादक पदार्थों की तस्करी, परिवहन एवं बिक्री की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 17/18.09.2026 की रात्रि को थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा थाना जसवंतनगर क्षेत्रान्तर्गत गाढा बंदी अभियान के तहत बस अड्डा चौराहे के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि 01 ट्रक आगरा की तरफ से आकर ग्राम डुडहा जाने वाली सड़क के पहले सर्विस रोड पर खड़ा है जिसमें 02 व्यक्ति बैठे है और वह शराब तस्करी करके पंजाब प्रान्त से बिहार की तरफ ले जा रहे है । सूचना पर थाना जसवंतनगर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो ट्रक चालक द्वारा ट्रक को लेकर भागने का प्रयास किया गया जिस पर जसवंतनगर पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुये 02 व्यक्तियों (चालक व उसके साथी) को 01 ट्रक (दस चक्का टाटा कम्पनी का) सहित गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस पूछताछ:-

पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये ट्रक की तलाशी ली गयी तो उसमें से 176 पेटी इम्पीरियल ब्लू, 136 पेटी ROYAL STAG, 188 पेटी ROYAL GREEN अंग्रेजी शराब (for sale in punjab only) बरामद हुयी । जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग ये शराब रविलाला निवासी बहादुरगढ हरियाणा व सामीर निवासी मेवात हरियाणा के साथ मिलकर पंजाब प्रान्त की शराब को तस्करी हेतु बिहार प्रान्त ले जा रहे थे हम लोगों ने कुछ POP(पुट्टी) की बोरियां ट्रक के ऊपर लगा रखी थी ताकि शराब की पेटियां दिखे न । उनके द्वारा बताया गया कि शराब को पंजाब से सस्ते दामों में ले जाकर बिहार प्रान्त में मंहगे दामों पर बेच देते हैं ।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध मे थाना जसवंतनगर पर मु0अ0सं0 267/2026 धारा 60/63/72

आबकारी अधिनियम व 207 एमवीएक्ट पंजीकृत किया गया ।

बरामद 01 ट्रक (10 चक्का) को अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. हुकमाराम पुत्र रतनाराम निवासी ग्राम विशाला, थाना ग्रामीण, जनपद बाड़मेर, राजस्थान, उम्र 30 वर्षी
2. परमान पुत्र मूलाराम निवासी ग्राम विशाला, थाना ग्रामीण, जनपद बाड़मेर, राजस्थान, उम्र 28 वर्षी

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 267/2026 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व 207 एमवीएक्ट थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।

बरामदगी:- (अनुमानिक कीमत 50 लाख रुपये)

1. 500 पेटी अंग्रेजी शराब (176 पेटी इम्पीरियल ब्लू, 136 पेटी रॉयल स्टेग एवं 188 पेटी रॉयल ग्रीन ।
2. 01 ट्रक (दस चक्का) (धारा 207 MV Act में सीज)
3. 02 मोबाइल फोन (वीवो कम्पनी)
4. 7,000 रुपये नकद ।

पुलिस टीम:- उ0नि0 श्री कमल भाटी थानाध्यक्ष जसवंतनगर, उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय, उ0नि0 कोमल चौधरी, उ0नि0 हेमन्त कुमार, उ0नि0 ललित किशोर चतुर्वेदी, उ0नि0 शुभम वर्मा, हे0का0 दीपेन्द्र सिंह, का0 सनोज कुमार, का0 आर्य चिकारा, का0 अवनीश कुमार, का0 सुशील कुमार (चालक), का0 प्रदीप कुमार, का0 संजय कुमार , का0 आयुष सचान ।

नोट:- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 20,000/- की धनराशि से पुरस्कृत किया गया ।





